

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
निविदा सूचना

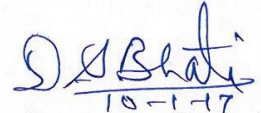
क्रमांक : एचसी/एसके/2016-17/528

दिनांक : 10.01.2017

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर कार्यालय में कार्यरत वाहन चालकों, जमादारों एवं अन्य पुरुष सहायक कर्मचारियों के उपयोगार्थ वित्तीय वर्ष 2016-17 की ठण्डी वर्दी (हन्टिंग कोट, अचकन, बन्द गले का कोट व पेन्ट) की सिलाई की दरों के सम्बन्ध में मोहरबन्द निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र मय विवरण निर्धारित शुल्क रुपये 200/- जमा करवाकर मुख्य रोकड़पाल से कार्यालय समय में प्राप्त किया जा सकता है।

निविदाएँ दिनांक 12.01.2017 से दिनांक 21.01.2017 दोपहर 12.00 बजे तक बेची जा कर दिनांक 21.01.2017 को दोपहर 12.00 बजे तक प्राप्त की जायेगी एवं प्राप्त निविदाएँ उसी दिन दिनांक 21.01.2017 को साँय 4.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी। निविदा का विस्तृत विवरण एवं शर्तें <http://www.hcraj.nic.in> पर देखी जा सकेगी।

आज्ञा से,



उपनिबन्धक (न्यायिक),

कार्यालय: राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

निविदा एवं अनुबन्ध की शर्तें

पृष्ठ संख्या - 1

1. निविदाएँ पूर्ण रूप से भरी जाकर मोहरबंद निविदाएँ दिनांक 21.01.2017 को दोपहर 12.00 बजे तक कार्यालय में पहुँच जानी चाहिए। प्राप्त निविदाएँ उसी दिन दिनांक 21.01.2017 को साँय 4.00 बजे उपस्थित निविदाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएगी। विलम्ब से प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जाएँगी।
2. निविदादाता को अनुमानित व्यय मूल्य की 2 प्रतिशत राशि कार्यालय में अमानत राशि के रूप में नगद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में जमा करवानी होगी। डिमाण्ड ड्राफ्ट 'रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर' के नाम से देय होगा। निविदा प्रपत्र के साथ नगद की रसीद या डिमाण्ड ड्राफ्ट मूल रूप से संलग्न करना होगा।
3. इस अनुबन्ध के तहत गर्मी (Summer Uniform) की वर्दी की सिलाई/सिलाई के कार्य का निर्धारण निविदा प्रपत्र में उल्लेखित मानकों के अनुरूप होगा। निविदादाता को Summer Uniform के तहत अचकन, हन्टिंग कोट, जोधपुरी बन्द गले का कोट एवं पेन्ट की दरें पृथक-पृथक रूप से देनी होगी तथा साथ ही वर्दी की सिलाई के लिये उपयोग में लिये जाने वाले Thread, Lining, Zip, Inter-locking, Fuse lining, Pad, Chest, Piece, Buckram, Buttons, का पूर्ण विवरण निविदा प्रपत्र में उल्लेखित अनुरूप दरें भरकर देनी होगी।
4. कर्मचारियों की वर्दी सिलाई का कार्य/निर्धारण कार्यालय द्वारा विभाजित श्रेणियों/निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा। वर्दी निर्धारित मानक/निर्देशों के अनुसार सिलाई नहीं किये जाने की दशा में बिना कोई अतिरिक्त शुल्क के त्रुटि सुधारकर/बदलकर/पुनः सिलाई कर या कपड़े का लागत मूल्य कार्यालय में जमा करवाना होगा।
5. वर्दी की सिलाई के बिलों का भुगतान कर्मचारियों द्वारा संतोषजनक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद ही किया जायेगा।
6. निविदा में वर्दी सिलाई में प्रत्येक श्रेणी की वर्दी में प्रयुक्त होने वाले कपड़े की मात्रा पृथक-पृथक रूप से वर्णित की गयी है, उसी के अनुरूप सिलाई कार्य करना होगा।
7. निविदा तय होने पर वर्दी के लिये पात्र कर्मचारियों की सूची बनाकर सम्बन्धित फर्म को उपलब्ध करवाई जायेगी। वर्दी की सिलाई हेतु माप सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार एवं शनिवार को कार्यालय समय में कार्यालय में आकर लेना होगा। कार्यालय से कपड़े के परिवहन तथा वर्दी सिलाई के पश्चात भण्डारगृह तक पहुँचाने/वितरण करने इत्यादि से सम्बन्धित पृथक से किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
8. यदि सम्बन्धित फर्म द्वारा सिलाई की गुणवत्ता में कमी अथवा कार्यालय द्वारा स्वीकृत नमूनेनुसार सामग्री जैसे - Thread, Lining, Zip, Inter-locking, Fuse lining, Pad, Chest, Piece, Buckram, Buttons, का प्रयोग नहीं किया जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित फर्म की होगी तथा उसे इससे सम्बन्धित सुधार कार्य स्वयं के खर्चे पर करके देना होगा। भण्डारगृह में सप्लाई की जाने वाली वर्दियाँ इस्तरी की हुई होनी चाहिए।
9. कार्यालय द्वारा वर्दी की सिलाई हेतु कपड़ा एक पखवाड़े में सम्पादित किये जाने वाले कार्य के अनुसार ही प्रदान किया जायेगा तथा साथ ही सम्बन्धित फर्म को सिलाई कार्य की सूची कार्यालय को कर्मचारियों के नाम व पद सहित प्रस्तुत करनी होगी। उसी के अनुरूप भुगतान व कपड़ा उपलब्ध करवाने की कार्यवाही की जायेगी। सम्बन्धित फर्म द्वारा कार्यालय से सिलाई हेतु उपलब्ध करवाये जाने वाले कपड़े की रसीद स्वयं के लेटर पेड पर/लिखित रूप से देगी।

दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पता सील मोहर

कार्यालय: राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

निविदा एवं अनुबन्ध की शर्तें

पृष्ठ संख्या - 2

10. कार्यालय द्वारा कपड़ा उपलब्ध करवाने के पश्चात उससे सम्बन्धित होने वाली हानि जैसे - कपड़ा चोरी हो जाना, सिलाई के दौरान खराब हो जाना अन्य कोई व्यक्तिगत अथवा प्राकृतिक आपदा से नुकसान हो जाने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म की होगी।
11. सम्बन्धित फर्म को सिलाई कार्यादेश प्राप्ति के पश्चात निर्धारित समयावधि में सिलाई कार्य को पूर्ण करना होगा। निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के अगले दिवस से ही रुपये 10/- प्रति वर्दी प्रति दिवस अनुसार जुर्माना लगाया जायेगा।
12. निविदा एवं प्रस्तुत दरें सभी करें सहित शब्दों एवं अंकों में स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी। कॉट-छॉट होने पर अपने लघु हस्ताक्षर करके दरें पृथक् से स्पष्ट रूप से लिखनी होंगी। निविदा में प्रस्तुत दरों में सामान को निर्दिष्ट स्थान/भण्डारगृह पर पहुँचाने का व्यय (Handling Charges) भी सम्मिलित होगा।
13. सिलाई कार्य के आदेश प्राप्ति के तीन दिवस के भीतर कार्यादेश की कुल कीमत की 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में कार्यालय में जमा करवानी होगी, जिसमें जमा अमानत राशि का समायोजन प्रतिभूति में किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त निर्धारित राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर एक अनुबन्ध पत्र, जा निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा।
14. किसी भी निविदा को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को होगा। अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यूनतम निविदा को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं होगा। निविदा खोले जाने एवं स्वीकार किये जाने की तिथियों में परिवर्तन का अधिकार भी अद्योहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
15. उक्त निविदा में सफल निविदादाता अपने कार्य को स्वयं के स्तर पर ही सम्पादित करेगा। स्वीकृत कार्य को किसी अन्य एजेन्सी या फर्म के माध्यम से नहीं करवायेगा अर्थात् सबलेट नहीं करेगा।
16. सम्बन्धित फर्म के कम से कम पाँच वर्ष के सिलाई कार्य का अनुभव होना आवश्यक है। फर्म को यदि पूर्व में किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी/निजी संस्था से वर्दी सिलाई हेतु कोई कार्यादेश प्राप्त हुआ है अथवा किसी संस्था द्वारा सिलाई कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ हो तो उक्त कार्यादेश का प्रमाण पत्र अथवा दोनों की प्रतियाँ निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी। निदेशक इण्डस्ट्रीज एवं सप्लाय, राजस्थान के अन्तर्गत पंजीकृत फर्म, पंजीकृत सिलाई की निविदा प्रस्तुत कर सकती है। उक्त रजिस्टर्ड फर्मों को अमानत राशि में छूट का लाभ नियमानुसार देय होगा। किसी अन्य सप्लाय के लिए जमा अमानत राशि का समायोजन इस निविदा पेटे नहीं किया जायेगा।
17. सर्शत निविदा स्वीकार्य नहीं होगी।
18. प्रतिभूति/बयाना राशि के बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
19. सिलाई कार्य से सम्बन्धित अन्य शर्तें सम्बन्धित निविदा प्रपत्र में संलग्न है, के अनुसार कार्य सम्पन्न करना होगा।

दिनांक :
स्थान :

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पता सील मोहर